(119)

न्यायालय राजस्व मण्डल खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष

R. 4256-PBR/14

शाकीर मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद
निवासी – चंदन नगर इंदौर म.प्र. ......निगरानीकर्ता

विरूद्ध

मुकद्दर अली पिता अब्बास अली
निवासी – ग्राम हासनाबाद तहसील
हातोद जिला इन्दौर ...... प्रत्यर्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

18-12-14

मान्यवर,

निगरानीकर्ता / प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ तहसीलदार महोदय हातोद तहसील हातोद जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 24 / अ–6–अ / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2014 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की जा रही हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

निगरानीकर्ता / प्रार्थी द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय हातोद के समक्ष धारा 115–116 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम हसनाबाद तहसील हातोद जिला इन्दौर स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 216 / 1 रकबा 1.613 हेक्टर भूमि पर वर्ष 1992 के खसरे में बिना किसी आधार के त्रुटिवश प्रत्यर्थी का नाम दर्ज हो गया हैं जिसे जांच करते हुए प्रत्यर्थी का नाम कम करते हुए पूर्व में की गई त्रुटि को सुधारत हुए प्रार्थी का नाम पुनः दर्ज किया जाने बाबद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक मूल आवेदन का जवाब नही दिया गया हें प्रकरण को चलते चलते करीबन 2 वर्ष हो चुके हें। प्रत्यर्थी द्वारा एक आवेदन धारा 32 म.प्र.भू.रा.संहिता का प्रस्तुत किया एवं उल्लेख किया की प्रत्यर्थी द्वारा मामले को दिवानी न्यायालय में चुनोती दी हैं ऐसी स्थिति में

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 4256-पीबीआर/2014 जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष सूचित हो ।** **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	